Lec- 18
Dr. Parikshit Kr Singh (1)
Dept of LSW
SNS RKS College, Saharsa

श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948
(The factories Act, 1948)

कारखाना अपनी प्रसीमाओं (Precincts) सहित ऐसा परिसर है जिसमें —
(क) दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पिछले बारह महीने के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भी भाग में विनिर्माण- प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा सकती है, या आम तौर से इस तरह की जाती है, या
(ख) जिसमें बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पिछले बारह महीने के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भी भाग में विनिर्माण- प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है; या आम तौर से ऐसे की जाती है।

इस परिभाषा के अन्तर्गत खान, संघ के सशस्त्रबल की चलती फिरती इकाई, रेलवे रोनिंग शेड या होटल, उपहार-गृह और भोजनालय सम्मिलित नहीं होते। कर्मकारों की गणना के लिए दिन के विभिन्न समूहों और टोलियों में सभी कर्मकारों को गिनना आवश्यक है। अगर किसी परिसर या उसके किसी भाग में इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण इकाई (electronic processing unit) या कम्प्यूटर इकाई प्रतिष्ठापित की गई हो, तो उसे स्वतः तबतक कारखाना नहीं कहा जायगा जबतक कि उसमें विनिर्माण प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही हो।

धारा 2 (M)

राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वह गजट में अधि-सूचना द्वारा अधिनियम के उपबंधों को ऐसे किसी स्थान पर भी लागू कर दें, जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया में निर्धारित संख्या में कम व्यक्ति नियोजित हो या जहाँ काम करने वाले व्यक्ति उस स्थान के स्वामी द्वारा नियोजित नहीं है, परंतु वे स्वामी की अनुज्ञा से या उसके साथ होने वाले करार के अधीन काम कर रहे हों। अधि-नियम के उपबंधों को ऐसे स्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता, जिसमें विनिर्माण-प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने कुटुंब की सहायता से चलाई जा रही हो।

धारा (85)

<u>विनिर्माण - प्रक्रिया</u> (Manufacturing process)-

विनिर्माण प्रक्रिया में अग्रलिखित सम्मिलित है।

(i) किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, विघटन, उन्मूलन या अन्य प्रकार से अभिक्रियान्वयन (treating) या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया।

(ii) तेल, जल, मल, या कोई पदार्थ उद्घाहित (Pumping) करने के लिए कोई प्रक्रिया,

(iii) शक्ति का उत्पादन, रूपांतरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया,

(iv) मुद्रण के लिए टाइप कंपोज करने, लेटर प्रेस, अश्म मुद्रण (lithography) प्रकाशोत्कीर्ण (Photogravure) या अन्य

जैसी की प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्दबंदी करने के लिए कोई प्रक्रिया

(V) पोतों या जलयानों को सन्निर्मित (constructing) या पुनः सन्निर्मित करने, मरम्मत करने, पुनः ठीक करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया तथा

(vi) शीतागार (cold storage) में किसी वस्तु के परिरक्षण या भंडारकरण के लिए कोई प्रक्रिया।

धारा 2(K)

कर्मकार (worker)— कर्मकार का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया से या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषय-वस्तु के प्रासंगिक या उससे संबंद्ध किसी अन्य प्रकार के काम में नियोजित हो, चाहे इसकी जानकारी नियोजक को हो या नहीं या उसका नियोजन सीधे या किसी अभिकरण के द्वारा हुआ हो या उसे पारिश्रमिक पर या बिना पारिश्रमिक के नियोजित किया गया हो। लेकिन, संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता।

धारा 2(i)

बालक (child) — बालक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का पंद्रहवा वर्ष पूरा नहीं किया है।

धारा 2(c)

कुमार (Adolescent) कुमार का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने पंद्रहवा वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपना अठारहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया है।

धारा 2(b)

Scanned with CamScanner